बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
:: संकल्प ::

पटना–15 दिनांक 1.6.17

श्री उमाशंकर राम, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–1132/08, 899/11 के विरूद्ध आय के ज्ञात श्रोतों से अधिक परिसम्पति अर्जित करने के आरोपों पर निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पदस्थापन काल में आर्थिक अपराध थाना काण्ड संख्या–31/2013 दिनांक 17.07.2013 दर्ज किये जाने एवं इस क्रम में प्रत्यानुपातिक धनार्जन का साक्ष्य प्राप्त होने की सूचना महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना के पत्रांक 468/गो0 दिनांक 18.07.2013 द्वारा उपलब्ध कराया गया। मामले की गंभीरता के मद्देनजर विभागीय संकल्प ज्ञापांक 12560 दिनांक 29.07.2013 द्वारा आदेश निर्गत की तिथि से श्री राम को निलंबित किया गया। विभागीय स्तर पर श्री राम के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई आरंभ करने हेतु पत्रांक 13314 दिनांक 13.08.2013 द्वारा जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी से आरोप प्रपत्र 'क' मांगा गया। इस क्रम में पत्रांक 392 दिनांक 22.10.2013 द्वारा आरोप प्रपत्र 'क' प्राप्त हुआ। श्री उमाशंकर राम ने विभागीय पत्र के आलोक में घोषित सम्पत्ति विवरणी की प्रति संलग्न करते हुए सूचित किया कि उनकी पत्नी श्रीमती मिन्टु कुमारी, रिलायन्स लाईफ इन्शोरेंस में कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर कार्यरत है और उनपर अश्रित नहीं है। विभागीय स्तर पर आरोप प्रपत्र 'क' पुनर्गठित करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया। संकल्प ज्ञापांक 4244 दिनांक 28.03.14 द्वारा श्री राम के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी यथा आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 841 दिनांक 02.03.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। संचालन पदाधिकारी ने अपने जाँच प्रतिवेदन में श्री राम पर लगाये गये आरोपों की विस्तृत विवेचना करते हुए मुख्य रूप से निम्न तथ्य अंकित किया है :–

(i) "विभागीय कार्यवाही में श्री राम द्वारा विशेष आर्थिक अपराध इकाई की जब्ती सूची एवं मूल शिकायत पत्र की माँग की गयी। यहाँ स्पष्ट है कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा जो कागजात माँगे जा रहे थे वे कागजात आपराधिक वाद से संबंधित हो सकते है परन्तु उसकी विभागीय कार्यवाही में आवश्कता नहीं है। विभागीय कार्यवाही में आरोपित पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने आय से अधिक सम्पत्ति के मामले को इस आधार पर गलत बताया है कि उनके पत्नी भी सेवारत है तथा उन्हें कृषि योग्य आय के साथ–साथ संयुक्त परिवारिक सम्पत्ति, पत्नी को उनके श्वसुर द्वारा दिये गये उपहार आदि से प्राप्त सम्पत्ति को भी आर्थिक अपराध इकाई ने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। आरोपित पदाधिकारी द्वारा बताया कि प्रोपर्टी रिटर्न में उपहार में प्राप्त सम्पत्ति को नहीं दिखाया गया है।

(ii) जाँच पदाधिकारी द्वारा आरोपित पदाधिकारी को सुनने एवं इनके प्रोपर्टी रिटर्न तथा प्रपत्र 'क' में वर्णित आरोपों एवं संलग्न साक्ष्यों के अवलोकनोपरांत यह अंकित किया गया है कि आरोपित पदाधिकारी के पास उनकी आय विभिन्न श्रोतो से मात्र 40,00000/– (चालीस लाख) रूपये आकलित की गयी है एवं उनकी परिसम्पत्तियों का आकलन 1,27,60,662 (एक करोड़ सत्ताईस लाख साठ हजार छः सौ बासठ) रूपये किया गया है। इसमें उनकी पत्नी की इस दौरान की सम्भावित आय 14,26,000/– रूपये इसमें जोड़ने पर इनकी कुल सम्भावित आय 54,26,000/– होती है। इस आकलन में अचल सम्पत्ति के आकलित मूल्य 99,70,000/– रूपये में से क्रमांक–05 एवं 06 जिनका कुल जोड़ 61,00000/– होता है जिस संबंध में उनका कहना है कि यह इनके पत्नी के पिता ने उन्हें मात्र 77,400 रूपये में खरीदकर उपहार में दिया था तथा इस पर उन्होंने मात्र 13–14 लाख रूपये व्यय होना बताया है एवं अचल सम्पत्ति क्रमांक–1 जो पूरे में भी घटा दिया जाए तो भी अचल सम्पत्ति का योग 33,70,000/– रूपये होता है। जो इनकी अनुमानित आय 40,00000/– में से भागवत नगर के मकान में व्यय हुई कथित 14,00000/– रूपये तथा कुल आय के किचेन व्यय @ 33 प्रतिशत अर्थात 13,20,000/– घटाने के उपरान्त बची राशि 12,80,000/– से काफी अधिक है तथा इसमें उनकी पत्नी का आय 14,26,000/– जोड़ देने के उपरान्त कुल राशि 27,06000/– से भी अधिक है। इसी तरह

इनके पास बैंक खातो में जो चल सम्पत्ति प्रतिवेदित है उनका योग लगभग 35,00000/– होता है साथ ही आभूषण एवं अन्य सामाग्रियों का मूल्य जोड़ने पर यह राशि अतिरिक्त होगी। इसी तरह उन्होंने अपने प्रोपर्टी रिटर्न में आरोप क्रमांक 04 एवं 05 की परिसम्पत्ति का उल्लेख नहीं किया है जो स्पष्ट रूप से घोषित सम्पत्ति से अतिरिक्त है।

अन्ततः जाँच पदाधिकारी द्वारा निष्कर्ष में श्री राम के विरूद्ध अपने प्रोपर्टी रिटर्न में घोषित सम्पत्ति के विवरण से अधिक सम्पत्ति पाये जाने का आरोप स्पष्ट रूप से प्रमाणित बताया गया है।"

3. इस प्रकार उक्त प्रमाणित आरोपों के संबंध में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक–12580 दिनांक 25.08.2015 द्वारा श्री राम से लिखित अभिकथन की माँग की गयी। जिसके क्रम में उन्होंने अपना लिखित अभिकथन पत्रांक–2129 दिनांक 14.10.2015 द्वारा समर्पित किया। आरोप, प्रपत्र 'क', जाँच प्रतिवेदन एवं श्री राम के लिखित अभिकथन की समीक्षा के उपरांत यह पाया गया कि श्री राम ने अपने बचाव बयान में ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे स्पष्ट हो सके कि आर्थिक अपराध इकाई द्वारा पाया गया चल अचल सम्पत्तियों का विवरण उनके वैध आय के श्रोतो के अन्दर है एवं वार्षिक रिटर्न में विधिवत् रूप से की थी। जाँच प्रतिवेदन सुस्पष्ट है। अतएव संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए आरोपित पदाधिकारी के स्पष्टीकरण में दिये गये तर्को को स्वीकार योग्य नहीं माना जा सकता है। श्री राम का यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली–1976 के नियम–iii के प्रतिकूल है साथ ही भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम की धारा–13 (2) सह पठित धारा–13 (1) (ई०) के तहत उनके विरूद्ध कार्रवाई भी चल रही है। वैध श्रोतो से अधिक सम्पत्ति धारित करना और वार्षिक रिटर्न में घोषित नहीं किया जाना भी उनके भ्रष्ट आचरण की पुष्टि करता है।

4. वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत प्रमाणित आरोपों के लिए श्री राम के विरुद्ध **"सेवा से बर्खास्तगी (जो सामान्यतः सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी)"** का दंड विनिश्चित करते हुए विभागीय पत्रांक–984 दिनांक 20.01.16 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से मंतव्य की मांग की गयी। इस क्रम में आयोग के पूर्ण पीठ की दिनांक 09.05.16 को सम्पन्न बैठक में विभागीय दंड प्रस्ताव में सहमति प्रदान की गयी जो बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–684 दिनांक 02.06.16 द्वारा प्राप्त हुआ।

5. इसके उपरांत विभागीय स्तर पर मामले की समीक्षा में अनुशासनिक कार्रवाई की प्रक्रिया के अंतिम चरण में रहने तथा आर्थिक अपराध थाना काण्ड संख्या–31/13 दिनांक 17.07.2013 के अद्यतन स्थिति की सूचना अप्राप्त रहने की स्थिति का संज्ञान हुआ। विभागीय स्तर से अनुशासनिक कार्रवाई में अंतिम निर्णय के पूर्व आर्थिक अपराध इकाई से अद्यतन स्थिति (यथा थाना कांड से उदभूत वाद में आरोप पत्र दायर होने एवं न्यायादेश पारित होने) की सूचना प्राप्त करने की आवश्यकता महसूस की गयी। इस हेतु विभागीय पत्रांक 15199 दिनांक 10.11.2016 द्वारा आर्थिक अपराध इकाई से प्रतिवेदन मांगा गया।

6. पुलिस महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना ने अपने पत्रांक 1506 दिनांक 20.03.17 द्वारा उक्त कांड में आरोप–पत्र समर्पित करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होने की सूचना देते हुए श्री उमाशंकर राम के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृत्यादेश प्रदान करने का अनुरोध किया। अपने प्रस्ताव में आर्थिक अपराध इकाई ने अनुसंधान के उपरांत श्री राम द्वारा धारित सम्पत्ति का मूल्य 1,54,40,662.00 (एक करोड़ चौबन लाख चालीस हजार छः सौ बासठ) रूपया प्रतिवेदित किया है। जिससे अनुमानित बचत 26,80,000.00 (छब्बीस लाख अस्सी हजार) रूपये को घटाकर कुल 1,27,60,662.00 (एक करोड़ सत्ताईस लाख साठ हजार छः सौ बासठ) रूपया आय से अधिक सम्पत्ति धारित करने का प्रतिवेदन दिया है जो प्रत्यानुपातिक धनार्जन है।

7. वर्णित तथ्यों एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दी गयी सहमति के आलोक में श्री उमाशंकर राम, बि०प्र०से० के **"सेवा से बर्खास्तगी (जो सामान्यतः सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी)"** संबंधी प्रस्ताव, मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति हेतु संलेख विभागीय ज्ञापांक–6281 दिनांक 25.05.2017 द्वारा मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को प्रेषित किया गया। राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक 26.05.2017 को सम्पन्न बैठक में श्री राम के सेवा से बर्खास्तगी संबंधी उक्त विनिश्चित दंड के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

8. अतएव वर्णित तथ्यों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–14 के तहत श्री उमाशंकर राम, बि0प्र0से0, को0क्र0–899/11 को **"सेवा से बर्खास्तगी (जो सामान्यतः सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी)" का दंड** संसूचित किया जाता है।

9. श्री राम के निलंबन अवधि (दिनांक 29.07.2013 से दिनांक 20.11.2014) के संबंध में अलग से कार्रवाई की जायेगी।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किंया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

01/06/17

(राम बिशुन राय)
सरकार के अवर सचिव।

निबंधित
स्पीड पोस्ट

ज्ञापांक–08/नि0था0–11–06/2014,सा०प्र०, 6626 **/पटना, दिनांक** 1.6.17

प्रतिलिपि– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा अयोग, पटना को उनके पत्रांक–684 दिनांक 02.06.2016 के क्रम में/अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/श्री उमाशंकर राम, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–899/11, उप सचिव, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, कोषागार, पटना/उप सचिव, प्रभारी प्रशाखा–12, 14,/चारित्री कोषांग एवं आई0 टी0 मैनेजर, (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/06/17

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–08/ नि0था0–11–06/2014,सा०प्र०, 6626 **/पटना, दिनांक** 1.6.17

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी.डी. एवं दो हार्ड कॉपी संलग्न करते हुए सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/06/17

सरकार के अवर सचिव।